न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 741–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 191/अपील/2013–14.

1– जिनेश कुमार आत्मज स्व. सरदारमल गोयल
2– प्रभात आत्मज स्व. सरदारमल गोयल
3– राजेश आत्मज स्व. सरदारमल गोयल
4– शैलेन्द्र कुमार आत्मज स्व. सरदारमल गोयल
निवासीगण ग्राम बावई
तहसील बावई जिला होशंगाबाद
5– सुदीप कुमार गोयल आत्मज स्व. फूलचंद गोयल
6– दिलीप कुमार गोयल आत्मज स्व. फूलचंद गोयल
7– राजीव कुमार गोयल आत्मज स्व. फूलचंद गोयल
निवासीगण जैन मोहल्ला वार्ड नं. 12 वारा सिवनी
तहसील वारा सिवनी जिला बालाघाट
8– राजेश कुमार आत्मज स्व. सुन्दरलाल जैन
निवासी जबलपुर
9– सुनील कुमार आत्मज स्व. सुन्दरलाल जैन
निवासी नाकोडा नगर खण्डवा
त्हसील व जिला खण्डवा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अशोक सिंह राजपूत आत्मज स्व. शंकर सिंह राजपूत
निवासी बजरिया मोहल्ला होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद
2– संतोष सिंह राजपूत आत्मज स्व. अशोक सिंह राजपूत
निवासी बजरिया मोहल्ला, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद
3– अशोक कुमार आत्मज स्व. दुलीचंद जैन
निवासी ग्राम आरी
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन.पी. शर्मा अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नगर होशंगाबाद नगर शीट नम्बर 19 प्लॉट नं. 9/1 रकबा 1460 वर्गफीट के भूमिस्वामी दमडूलाल थे । उनकी मृत्यु होने पर अनावेदक कमांक 3 अशोक कुमार आत्मज स्व. दुलीचंद जैन द्वारा नजूल अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 293/अ–6/2010–11 दर्ज कर दिनांक 26–9–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 3 अशोक कुमार का नामान्तरण स्वीकार किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 3–4–2013 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) मृतक भूमिस्वामी दमडूलाल के पुत्र एवं पुत्रियां होने के बावजूद भी अनावेदक कमांक 3 द्वारा अकेला उत्तराधिकारी बताकर नजूल अधिकारी से नामान्तरण आदेश पारित करा लिया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त कर सभी हितबद्ध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, परन्तु आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को शून्य घोषित करने हेतु द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते

हुए वाद के लम्बित रहने के दौरान प्रश्नाधीन सम्पत्ति अन्य को विक्रय या बंधक अथवा अन्य किसी को अंतरित नहीं करने के आदेश दिये गये हैं ।

(3) उक्त आदेश आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु आयुक्त द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करते हुए आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(4) आयुक्त द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थित पर विचार नहीं किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद लम्बित है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 व 2 प्रश्नाधीन भूमि के सद्भावी केता हैं और उनके द्वारा राजस्व अभिलेखों में अनावेदक कमांक 3 का नाम दर्ज होना पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है, जिस पर उनका आधिपत्य चला आ रहा है ।

(2) आयुक्त के समक्ष उभय पक्ष द्वारा अन्तिम तर्क प्रस्तुत किये जाने के कारण आयुक्त द्वारा प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था और आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग दी गई कि अनावेदक कमांक 1 व 2 व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय, बंधक अथवा अंतरित नहीं करेंगे, जिस पर आवेदकगण द्वारा सहमति दिये जाने के कारण ही आयुक्त द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर नजूल अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 3 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया और उसके द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 को आधी–आधी भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया है, जिस पर अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अपना नाम दर्ज भी करा लिया गया है, इसके बावजूद कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण हो चुका था, परन्तु कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है और आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया गया है, इसलिए व्यवहार न्यायालय द्वारा जो भी विनिश्चय किया जायेगा, वह उभय पक्ष पर बन्धनकारी होगा । ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर